उत्तर प्रदेश विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव , मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर ।

प्रश्न	**उत्तर**
22 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के प्रयागराज व झांसी मण्डल के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में कितने राजस्व के मुकदमें दिनांक 14 सितम्बर, 2023 तक लम्बित है, और कितने मुकदमों का निस्तारण करा दिया गया है ?	जी हॉं,स्थिति निम्नवत है :-

मण्डल	दिनांक 31.08.2021 को लम्बित वाद।	दिनांक 01.9.2021 से 14.9.2023 तक योजित वाद।	कुल वाद	दिनांक 01.9.2021 से 14.09.2023 तक निस्तारित वाद।
1	2	3	4	5
प्रयागराज	71444	367897	439341	342167
झॉंसी	6400	176085	182485	172242

(ख) उक्त लम्बित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण कराने के संवंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जायेंगे?

राजस्व न्यायालयों में योजित/लंबित वादों के त्वरित / समयबद्ध निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-462/एक-4-2023, दिनांक 23-05-2023 के अंतर्गत समस्त राजस्व न्यायालयों को क्रियाशील रखे जाने, राजस्व प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजस्व न्यायिक अधिकारियों के मध्य राजस्व वादों का वितरण 30:70 के अनुपात में किये जाने तथा न्यायिक अधिकारियों से कोई अन्य कार्य न लिये जाने आदि के निर्देश समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1555/एक-9-2023-रा0-9 दिनांक 05-10-2023 के अंतर्गत राजस्व वादों के निस्तारण हेतु अन्य निर्देशों के साथ 60 दिन का विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त शासन /राजस्व परिषद स्तर पर राजस्व वादों की समीक्षा की जा रही है तथा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को वादों के त्वरित / समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री